Annexure-III

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा. प्र. क्र. 31 अ/19(3) वर्ष 17-18
मौजा-फुलवारी, मदनतला, प.ह.नं. 22
तहसील शाहगढ़ जिला सागर (म.प्र)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक-1
सागर जिला (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन

.... अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 22/5/2018)

तहसीलदार शाहगढ़ का प्रकरण क्रमांक-861 बी/121 वर्ष 17-18 ग्राम फुलवारी, मदनतला अनुविभागीय अधिकारी बण्डाजिला सागर के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर ने ज्ञापन क्रमांक- 973/कार्य/2018 सागर दिनांक 24.03.18 से कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले हस्तांतरित शासकीय भूमि के स्थान पर तहसील शाहगढ़ के ग्राम फुलवारी, मदनतला, बमनोरा की शासकीय भूमि हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित की गई।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार शाहगढ़ को पत्र क्रमांक-4349/री.कले./18 सागर दिनांक 05.04.18 भेजा जाकर कार्यपालन यंत्री के प्रस्ताव का परीक्षण राजस्व विभाग वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण करने के उपरांत उपरोक्त ग्रामों का पृथक-पृथक ग्रामवार प्रकरण तैयार कर शासन के नियम निर्देशों के तहत अपने अभिमत के साथ उचित माध्यम से भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग बण्डा के ज्ञापन क्रमांक-731/एस.टी./18 बण्डा दिनांक 22.06.18 में प्रतिवेदित किया गया कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में तहसीलदार शाहगढ़ से प्रतिवेदन लिया गया । तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/144/प्र./तह./2018 शाहगढ़ दिनांक 21/05/2018 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम फुलवारी प.ह.नं. 22 की भूमि ख.नं. 1 कुल रकबा 25.470 हे. में से 25.000 हे., खसरा नं. 43 कुल रकबा 75.690 हे. में से 65.000 हे. ग्राम मदनतला में खसरा नं. 187 कुल रकबा 25.000 हे. में से 24.290 हे. एवं ग्राम बमनौरा प.ह.नं. 33 के खसरा नं. 194 कुल रकबा 36.400 हे. मे से 21.592 हे. भूमि कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना बरोदा जलाशय, जमर्रा जलाशय एवं पिपरिया जसराज जलाशय के डूब क्षेत्र में गई वन भूमि के बदले उक्त भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित करने बाबत आदेश प्राप्त हुआ । उक्त निर्देश के पालन में दिनांक 07/05/2018 को पुलिस बल, ग्राम कोटवार, पटवारी टीम, जल संसाधन से अनुविभागीय अधिकारी उपयंत्री एवं वन विभाग के डिप्टी रेन्जर, बीटगार्ड एवं पुलिस विभाग से थाना प्रभारी शाहगढ़ अमले के सहित स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में ग्राम फुलवारी के खसरा नं. 1 एवं 43 का सीमांकन किया गया। वन विभाग द्वारा जी.पी.एस. रीडिंग ली गई नियत बिन्दुओं पर चूना लाईन डलवायी गई । खसरा नं. 1 के नक्शा के मध्य में खसरा नं. 02 रकबा 1.10 हे. को हस्तांतरण हेतु चिन्हित किया गया एवं खसरा नं. 43 कुल रकबा 75.69 हे में से 65.000 हे. रकबा नक्शा अनुसार सीमांकित कर बताया गया। चूना डालकर जी.पी.एस. रीडिंग ली गई। सीमांकित भूमि वृक्षारोपण के उपयुक्त एवं अतिक्रमण मुक्त पाई गई। सीमांकित भूमि वन भूमि के कक्ष क्रमांक 502 से लगी हुई है। ग्राम मदनतला के खसरा नं. 187 कुल रकबा 25.000 में से 24.290 हे. भूमि वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी, डिप्टी रेन्जर, बीटगार्ड, जल संसाधन से उपयंत्री श्री जैन की उपस्थिति टीम द्वारा सीमांकित की गई, चूना डलवाया गया एवं बीट गार्ड द्वारा आवश्यक बिन्दुओं पर जी.पी.एस. रीडिंग ली गई सीमांकित भूमि वृक्षारोपण के प्रयोजन उपयुक्त एंव अतिक्रमण मुक्त पाई गई। सीमांकित वन भूमि के कक्ष क्रमांक 500 से लगी हुई है । ग्राम बमनौरा में वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी, बीटगार्ड, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन से उपयंत्री श्री जैन ग्राम बमनौरा की भूमि खसरा नं. 194 रकबा 36.400 हे. में से 21.592 हे. के सीमांकन हेतु मौके पर उपस्थित हुये मौके पर निरीक्षण के

P.T.O.

रा. प्र. क्र. 2 \ अ/19(3) वर्ष 17-18

दौरान व॰ विभाग द्वारा उक्त भूमि को वृक्षारोपण के उपयुक्त न होना बताया गया एवं जी.पी.एस. रीडिंग नहीं ली गई। तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा प्रस्तुत उक्त् प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रतिवेदन समुचित कार्यवाही हेतु सहपत्रों सहित संप्रेषित है।

प्राप्त प्रस्ताव एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के प्रस्ताव से सहमत होते हुए तहसील शाहगढ में अनुसूचि में दर्शाए गए ग्रामों की शासकीय भूमि :-

अनुसूची

क्र.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकवा	हस्तांतरित रकबा	मद
01	केथ मध्यम परियोजना	फुलवारी	22	01	25.47	14.912	चरनोई
		फुलवारी	22	43	75.69	65.00	चरनोई
02	जमदरा जलाशय	मदनतला	22	187	25.00	24.29	चरनोई
03	बरोदा जलाशय	फुलवारी	22	01	25.47	10.08	चरनोई
					कुल योग-	114.28	

को म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2011) के तहत मद परिवर्तन करते हुए केथ मध्यम सिंचाई परियोजना, जमदरा जलाशय, बरोदा जलाशय में डूब में आने वाली भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की जाती है साथ ही प्रकरण क्रमांक- 13 अ/19(3) वर्ष 16-17 में पारित आदेश दिनांक 13.02.18 के द्वारा ग्राम दशरिया प.ह.नं. 06 तहसील रहली का भूमि हस्तांतरण का आदेश निरस्त किया जाता है।

इस भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण एवं आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला सागर

पृ.क्र. 6211/ रीडर कले. /2018
प्रतिलिपि :

सागर, दिनांक 22/5/2018

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
2- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
3- कमिश्नर, सागर संभाग सागर को सूचनार्थ।
4- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को सूचनार्थ।
5- वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वन मण्डल सागर को सूचनार्थ।
6- अनुविभागीय अधिकारी रहली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7- अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित तहसीलदार शाहगढ से आदेशानुसार कार्यवाही कराये जाने तथा कार्यवाही उपरांत संशोधित अभिलेख की नकल सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को भेजे जाने हेतु।
8- तहसीलदार शाहगढ को उनके प्रकरण सहित आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।
9- तहसीलदार रहली जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला सागर

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फार्म पी -II
खसरा

सी. एल. आर. न. :1110110300022177000022

ग्राम:फुलवारी		हल्का :सासन		रा.नि.म. :शाहगढ		तहसील :शाहगढ		जिला :सागर		वर्ष: 2020-2021	
				खाते की भूमि							
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	25.470 0	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन पता तहसीलदार सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय									न्यायालय कलेक्टर महोदय सागर के रा0प्र 0क्रं035/अ/19[3] /14-15आदेश दिनं◌ा क 8/4/2015के अनुसार वनविभाग को आरक्षित टीप - रियोटिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जिला छतरपुर में किम्बर लाइट एण्डडायमण्ड माईनिंग हे तु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि आरक्षित -आरक्षित भूमि रकबा 25.00 कलेक्टर महोदय सागर जिला सागर के आदेश क्रमांक 21 अ 19/3/बर्ष 2017/1 8 आदेश द◌िनांक 22/05/2018 के अनु सार उक्त भूम◌ि में से 14.912 हे० भूमि वन विभाग को बैकल्पिक ब्रक्षारोपण हेतु ह स्तांतर◌ित की जाती है दि.04/10/2020को खसरा टिप्पणी पटवा री द्वारा जोड़ा गया एवं तहसीलदार द्वारा अ नुमोदन किया गया | कलेक्टर महोदय सागर जिला सागर के आदेश क्रमांक 21अ19/3बर्ष 2017/18 आदेश दिनांक 22/05/2018 के अनुसार उक्त भूमि में से 10.08 हे० भूमि बन विभ ◌ाग को ब्रक्षारोपण हेतु आरक्षित कर हस्त ◌ा◌ंतर◌ित की जाती है दि.06/10/2020को खसरा टिप्पणी पटवा री द्वारा जोड़ा गया एवं तहसीलदार द्वारा अ नुमोदन किया गया |

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 01
Date: 2020.10.16 14:10:50 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1110110300022177000022

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फार्म पी -II
खसरा

सी. एल. आर. न. :1110110300022177000023

ग्राम:फुलवारी		हल्का :मासन		रा.नि.म. :शाहगढ़		तहसील :शाहगढ़		जिला :सागर		वर्ष: 2020-2021	
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	75.690 0	(शासकीय)									न्यायालय कलेक्टर महोदय सागर के रा0प्र 0क्रं035/अ/19[3] / 14-15आदेश दिनं ाक 8/4/2015के अनुसार वनविभाग को आरक्षित टीप - रियोटिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जिला छतरपुर में किम्बर लाइट एण्डडायमण्ड माईनिंग हे तु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि आरक्षित -आरक्षित भूमि रकबा 65.00 कलेक्टर महोदय सागर के आदेश क्रमांक 21अ19/3 आदेश दिनांक 22/05/2020 के अनुसार उक्त भूमि मेसे 65.00हे० र कवा वन वि ाभाग को वैकल्पि ाक ब्रक्षारो पण हेतु हस्तान्तरि ात किया गई है दि.04/10/2020को खसरा टिप्पणी पटवा री द्वारा जोड़ा गया एवं तहसीलदार द्वारा अ नुमोदन किया गया।

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 01
Date: 2020.10.16 14:11:09 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1110110300022177000023